

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

विज्ञापन सं० - 01/2018

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के सुपर स्पेशियलिटी विभागों में प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-2401 दिनांक-18.07.2007 के तहत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सिनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली-2008 व संशोधित नियमावली 2013 के अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

(चिकित्सक कृपया ध्यान दें)

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के सुपर स्पेशियलिटी विभागों में प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-2401 दिनांक-18.07.2007 के तहत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सिनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली-2008 व संशोधित नियमावली 2013 के अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

(क)सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन हेतु मापदंड/शर्तें:-

1. सहायक प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु जैसे उम्मीदवार जिन्हें सुपर स्पेशियलिटी विषय-विशेष में डी०एम०/एम०सी०एच० डिग्री प्राप्त है, सहायक प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों को उक्त हेतु विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। भारतीय चिकित्सा परिषद् TEQ के अनुसार अर्हता आवश्यक है।

2. अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मूल्यांकन आवंटित किया जाएगा-

(क) तीन एम०बी०बी०एस० विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग-

70 प्रतिशत से उपर	65 प्रतिशत से उपर	60 प्रतिशत से उपर	55 प्रतिशत से उपर	50 प्रतिशत से उपर
5	4	3	2	1

नोट:- एक या अधिक एम०बी०बी०एस० परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामले, खास एम०बी०बी०एस० परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना, संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जाएगी।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के अनुसार स्पेशियलिटी विषय या विषय-समूह में प्राप्तांक -

70 प्रतिशत से उपर	65 प्रतिशत से उपर	60 प्रतिशत से उपर	55 प्रतिशत से उपर	50 प्रतिशत से उपर
5	4	3	2	1

नोट:- आवेदित स्पेशियलिटी विषय या विषय-समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामले में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान संबंधित विषय में प्राप्तांक माना जाएगा।

(ग) एम०डी०/एम०एस० अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा

स्पेशियलिटी में समकक्ष मानी गयी अहर्ता - 10 अंक

(घ) उसी स्पेशियलिटी में पी०एच०डी०, डी०एम०,एम०सी०एच० - 10 अंक

(ङ) साक्षात्कार - 06 अंक

(च) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (प्रति पूर्ण वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) - 10 अंक

नोट:- ऐसे एम0आर0सी0पी0, एफ0आर0सी0एस0 आदि जो 11.11.1978 के बाद प्राप्त किये गये हैं, के लिए कोई अंक आबंटित नहीं किया जायेगा।

- (4) तीन विश्वविद्यालय एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 1(एक) अंक घटाया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी, जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों, वे पात्र नहीं होंगे।
- (5) निम्नवर्णित मान्यता प्राप्त जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में मूल प्रकाशन के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नानुसार अतिरिक्त अंक आबंटित किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जायेगा, जब वह विषय के प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष, जिसके अधीन उसने पेपर तैयार किया हो, से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
 - (क) अधिकतम 2 (दो) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी बिहार स्टेट मेडिकल जर्नल में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 1(एक) अंक।
 - (ख) अधिकतम 10 (दस) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल, जो किसी ऑल इंडिया सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, अथवा किसी विदेशी मेडिकल जर्नल, जो समान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2(दो) अंक।
- (6) सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के हेतु किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम 18 (अठारह) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।”

(ख) प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन हेतु मापदंड / शर्तें:-

शैक्षणिक योग्यता :- चिकित्सक शिक्षकों के लिए सिनियर रेजिडेंट / ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली-2008 व संशोधित नियमावली 2013 तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार।

अर्हता

1. **प्राध्यापक** - भारतीय चिकित्सा परिषद् TEQ के अनुसार, भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में सह-प्राध्यापक के पद पर न्यूनतम 03 वर्षों का अध्यापन का अनुभव एवं प्रथम/पत्राचार लेखक के रूप में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में न्यूनतम 04 शोध पत्र प्रकाशित हो, जिसमें सह-प्राध्यापक के पद पर रहते न्यूनतम 02 शोध पत्र प्रकाशित/प्रकाशन हेतु स्वीकृत हो।
2. **सह-प्राध्यापक** - भारतीय चिकित्सा परिषद् TEQ के अनुसार, भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर न्यूनतम 02 वर्षों का अध्यापन का अनुभव एवं सहायक प्राध्यापक के पद पर रहते प्रथम/पत्राचार लेखक के रूप में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में न्यूनतम 02 शोध पत्र प्रकाशित हो।
3. (i) अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मूल्यांकन आवंटित किया जाएगा-

(क) तीन एम०बी०बी०एस० विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग-

70 प्रतिशत से उपर	65 प्रतिशत से उपर	60 प्रतिशत से उपर	55 प्रतिशत से उपर	50 प्रतिशत से उपर
5	4	3	2	1

नोट:- एक या अधिक एम०बी०बी०एस० परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामलों, खास एम०बी०बी०एस० परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना, संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जाएगी।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के अनुसार स्पेशियलिटी विषय या विषय-समूह में प्राप्तांक -

70 प्रतिशत से उपर	65 प्रतिशत से उपर	60 प्रतिशत से उपर	55 प्रतिशत से उपर	50 प्रतिशत से उपर
5	4	3	2	1

नोट:- आवेदित स्पेशियलिटी विषय या विषय-समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामले में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान संबंधित विषय में प्राप्तांक माना जाएगा।

- (ग) एम०डी०/एम०एस० अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्पेशियलिटी में समकक्ष मानी गयी अहर्ता - 10 अंक
- (घ) उसी स्पेशियलिटी में पी०एच०डी०, डी०एम०,एम०सी०एच० - 10 अंक
- (ङ) साक्षात्कार - 06 अंक
- (च) सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा का कार्यानुभव (प्रति पूर्ण वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) - 10 अंक

नोट:- ऐसे एम०आर०सी०पी०, एफ०आर०सी०एस० आदि जो 11.11.1978 के बाद प्राप्त किये गये हैं, के लिए कोई अंक आबंटित नहीं किया जायेगा।

(4) तीन विश्वविद्यालय एम०बी०बी०एस० परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 1(एक) अंक घटाया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी, जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों, वे पात्र नहीं होंगे।

(5) निम्नवर्णित मान्यता प्राप्त जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में मूल प्रकाशन के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नानुसार अतिरिक्त अंक आबंटित किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जायेगा, जब वह विषय के प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष, जिसके अधीन उसने पेपर तैयार किया हो, से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

(क) अधिकतम 2 (दो) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी बिहार स्टेट मेडिकल जर्नल में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 1(एक) अंक।

(ख) अधिकतम 10 (दस) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल, जो किसी ऑल इंडिया सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, अथवा किसी विदेशी मेडिकल जर्नल, जो समान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2(दो) अंक।

(ग) जिन अभ्यर्थियों की डिग्री की मान्यता एम०सी०आई० से प्राप्त नहीं है उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) संविदा पर नियोजन के उपरांत स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में पूर्व से कार्यरत चिकित्सक जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वही वेतन महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्ते के साथ देय होंगे।

(ङ) जो चिकित्सक सरकारी सेवा में है, उनका आवेदन पत्र नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित होना चाहिए।

(च) उम्र सीमा (01.07.2018 को अधिकतम) -

कोटि	सहायक प्राध्यापक
अनारक्षित(पुरुष)	45 वर्ष
अनारक्षित(महिला),	48 वर्ष
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)	48 वर्ष
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	50 वर्ष

नोट :- बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्यों के लिए सहायक प्राध्यापक के पद हेतु अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष होगा।

- प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक के लिए दिनांक-01.07.2018 को अधिकतम उम्र सीमा 66 वर्ष होगा।

(छ) (i) सुपर स्पेशियलिटी विभागों में नियुक्ति/नियोजन हेतु आरक्षण का प्रावधान वर्तमान में लागू नहीं है। आयु सीमा में छूट हेतु संबंधित श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे।

(ii) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में On-line स्वीकार किये जायेंगे तथा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके लिए वेबसाइट www.health.bih.nic.in के Recruitment Section पर जाकर दिनांक-20.12.2018 के पूर्वाह्न 12:00 बजे से दिनांक-08.01.2019 के मध्यरात्रि 12:00 बजे तक Upload किया जा सकता है। आवेदक Website पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ID generate करने के उपरांत Form पूरी तरह भरकर Submit करेंगे।

(iii) आवेदक On-line आवेदन समर्पित करने के पश्चात् आवेदन का E-Mail/Form Print out के साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ आवश्यकतानुसार अग्रसारण काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(ज) मानदेय :-

- सहायक प्राध्यापक-रु0 75,000/- (पचहत्तर हजार रु0)
- प्राध्यापक - रु0 86,500/- (छियासी हजार पाँच सौ रु0)
- प्राध्यापक-रु0 1,32,000/- (एक लाख बत्तीस हजार रु0)

कार्य संतोषप्रद होने पर प्रत्येक वर्ष 10% की कुल मानदेय में वृद्धि देय होगी।

(झ) यह नियुक्ति 01 वर्ष अथवा उन पदों के नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से भरे जाने तक होने तक (जो भी पहले हो) के लिए अनुमान्य होगी।

(ञ) आवेदन पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में पूर्ण रूपेण भरा हुआ तथा उम्र, योग्यता, शैक्षणिक अनुभव एवं प्रकाशन संबंधी प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.health.bih.nic.in के Recruitment Section से Download किया जा सकता है।

(ट) उपरोक्त चयन हेतु विभागवार निम्न कार्यक्रमानुसार सभी पद हेतु काउंसलिंग का आयोजन किया गया है:-

काउंसलिंग का कार्यक्रम

क्र०सं०	विभाग का नाम एवं काउंसलिंग की तिथि (10:00 बजे पूर्वाह्न से)	क्र०सं०	विभाग का नाम एवं काउंसलिंग की तिथि (10:00 बजे पूर्वाह्न से)
दिनांक-11.01.2019 एवं 12.01.2019 को		दिनांक-16.01.2019 एवं 17.01.2019 को	
1.	कार्डियोलॉजी	5.	शिशु सर्जरी
2.	कार्डियोथेरेसिक सर्जरी	6.	नेफ्रोलॉजी
3.	न्यूरोलॉजी	7.	प्लास्टिक सर्जरी
4.	न्यूरोसर्जरी	8.	नियोनेटोलॉजी
		9.	इन्डोक्राइनोलॉजी

(ठ) चयन का आधार मेधा क्रमांक होगा जो विभिन्न मापदंडों के अनुसार प्राप्त अंक, डी०एम०,एम०सी०एच० उत्तीर्णता का वर्ष एवं आयु के आधार पर तैयार होगा।

(ड) काउंसलिंग हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(ढ) रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

Kambal
6/12/18

(कौशल किशोर)

सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार

राज्य के 06 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के सुपर स्पेशियलिटी में प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की विवरणी:-

क्र०	विभाग का नाम	प्राध्यापक	सह-प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक
1	2	3	4	5
1	कार्डियोलॉजी	06	12	17
2	न्यूरोलॉजी	06	10	15
3	नेफ्रोलॉजी	06	11	17
4	न्यूरोसर्जरी	05	11	16
5	कार्डियोथोरेसिक सर्जरी	00	01	00
6	प्लास्टिक सर्जरी	00	01	01
7	नियोनेटोलॉजी	00	00	02
8	इन्डोक्राइनोलॉजी	01	00	01
9	शिशु सर्जरी	00	01	02
	कुल पद	24	47	71